

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)59 पार्ट-7/संस्था/बीमा/2019/

दिनांक : 23-05-2019


आदेश 79

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 41 के अन्तर्गत विभाग में नियमित रूप से चयनित निम्नांकित कनिष्ठ सहायक को तुल्य प्रभाव से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थायी किया जाता है :-

गैर अनुसूचित क्षेत्र

क्र.सं.	नाम	अजा/ अजजा	नियमित नियुक्ति की तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	श्री मनेन्द्र कुमार शर्मा		05.03.2014	बीकानेर

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।



(के. एम. दूडिया),
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)59 पार्ट-7/संस्था/बीमा/2019/ 2437-43

दिनांक : 23-05-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बीकानेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट/उप निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें ताकि सम्बन्धित कर्मचारी डाउनलोड कर सकें।
4. वरिष्ठता निर्धारक/केडर स्ट्रेथ लिपिक।
5. रक्षित पत्रावली


(रामपाल परसोया)
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर